



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्



डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक-5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017

दूरभाष: 0141-2700872, E-mail: shaladarpanjpr@gmail.com, rmsaccr@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प./जय/शालादर्पण/RGCGCC/2021/1304

दिनांक :- 13/9/2021

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

विषय :- राजीव गांधी करियर गाइडेन्स पोर्टल पर समझ विकसित करने हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 वीं के विद्यार्थियों को करियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान द्वारा “राजीव गांधी करियर गाइडेन्स योजना” अन्तर्गत राजीव गांधी करियर पोर्टल संचालित किया जा रहा है।

वर्ष 2021-22 में राजीव गांधी करियर पोर्टल की उपयोगिता को समझने एवं कक्षा 9-12 के समस्त विद्यार्थियों द्वारा इसके उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु ऑनलाइन आमुखीकरण दिनांक 17.9.2021 को आयोज्य है। जिसमें निम्नानुसार संभागियों द्वारा भाग लिया जाना है :-

- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा
- अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा
- ऐ.पी.सी./कार्यक्रम अधिकारी (जिला नोडल प्रभारी - करियर पोर्टल)
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक
- प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, समस्त
- कक्षा शिक्षक - कक्षा 9,10,11,12 समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय
- शाला दर्पण/करियर पोर्टल प्रभारी, समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय
- छात्र एवं छात्राएं - कक्षा 9,10,11,12 समस्त राजकीय माध्य. एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय

ऑनलाइन आमुखीकरण में करियर पोर्टल पर उपलब्ध समस्त सूचनाओं को देखना एवं लॉगिन प्रक्रिया से संबंधित चर्चा की जायेगी। अतः संबंधित समस्त अधिकारी वेबिनार में आवश्यक रूप से भाग लेना सुनिश्चित करें। वेबिनार हेतु लिंक व समय पृथक से उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(सना सिद्दीकी)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-।

क्रमांक : रा.स्कूल शि.प./जय/शालादर्पण/RGCGCC/2021/1305

दिनांक :- 13/9/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, राज्य परि. निदेशक, समग्र शिक्षा, जयपुर।
2. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त जिले।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक
6. पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, समस्तरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-।